राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 124/2014.....जिला.....उदयपुर.....

उनवान–मैसर्स अशोक ट्रेडर्स, उदयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–सी, उदयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2014	खण्डपीठ **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 13.01.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त वृत्त–सी, उदयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की **धारा 25 व 61** के तहत् पारित निर्धारण आदेश दिनांक **18.11.2013** में कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान **₹3499,980/–** पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक, व विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक बहस हेतु उपस्थित हुये । उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्ट्या ही अविधिक होने के कारण, त्रुटिपूर्ण है। इस संबंध में अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने के संबंध में अस्पष्ट आदेश पारित किया गया है क्योंकि उक्त के संबंध में बिना किसी कारणों को अंकित किये ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुख्य निष्पादन अधिकारी, नाथद्वारा मंदिर मण्डल से प्राप्त विभिन्न कार्यादेशों में फर्नीचर की सप्लायी व फिक्सिंग हेतु कार्यालय, वा.क.अ. कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, उदयपुर से कर मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 07.02.2013 को आवेदन करने पर अपीलार्थी व्यवहारी को कर मुक्ति प्रमाण पत्र दिनांक 20.03.2013 को जारी कर दिया गया जो संचेतन लगातार.....2	

06.02.2014

मस्तिषक से जारी किया गया था । कथन किया कि उक्त जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र पर पुनः विचार कर, दिनांक 20.09.2013 को सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये कार्यादेश को कार्य संविदा की प्रकृति का नहीं होना अवधारित कर, निरस्त कर दिया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि संचेतन मस्तिष्क से जारी किये गये कर मुक्ति प्रार्थना पत्र को मत परिवर्तन के आधार पर संशोधित/निरस्त करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः प्रकरण व सुविधा संतुलन **प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर,** बकाया मांग राशि, की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि **हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुख्य निष्पादन अधिकारी, नाथद्वारा मंदिर मण्डल से प्राप्त किया गया कार्यादेश, कार्य संविदा अथवा बिक्री की श्रेणी में होने अथवा नहीं होने का महत्वपूर्ण बिन्दु अन्तर्वलित है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने के संबंध में किसी प्रकार के कारणों को अंकित नहीं किया गया है। अतः प्रकरण व सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत होता है।** लिहाजा, अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध बकाया मांग राशि **₹3499,980/–** की वसूली पर, निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में **पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में,** अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 3 माह तक, जो भी पहले हो, के लिये रोक लगायी जाती है तथा इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।**

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

6.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
6/2/14